कम्पनी तथा क्राउन का प्रशासन (Administration of the Company and Crown)

प्रशासनिक संरचना तथा संगठन
(Administrative structure and Organisation)

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अन्तर्गत भारत (1773-1853)

- रैग्युलेटिंग एक्ट 1773
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784
- चार्टर एक्ट 1793
- चार्टर एक्ट 1813
- चार्टर एक्ट 1833
- चार्टर एक्ट 1853

ब्रिटिश क्राउन के अन्तर्गत भारत (1858 - 1947)

- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट - 1858
- इंडियन काउंसिल एक्ट - 1861
- इंडियन काउंसिल एक्ट - 1892
- भारत परिषद अधि नियम 1909
- भारत सरकार अधिनियम - 1919
- भारत सरकार अधि नियम 1935
- अगस्त प्रस्ताव 1940
- क्रिप्स प्रस्ताव 1942
- कैबिनेट मिशन 1946
- माउंटबेटन योजना 1947

⇒ 1600 ई० का राजलेख (चार्टर)

⇒ भारत का संवैधानिक विकास की कहानी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ प्रारम्भ हो जाता है।

⇒ 1600 ई० का राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 Dec. 1600 ई० को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना किया और इसे पूर्वी देशों में (15) वर्षो तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया।

⇒ कम्पनी कार्य को सुचारू रुप से चलाने के लिए इंग्लैंड़ में दो समितियाँ गठित की गई

- कोर्ट आफ प्रोपराइटर्स (1)
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स/निदेशक मण्डल (2)

⇒ कम्पनी के सभी हिस्सेदार (217) पहली समिति के सदस्य होते थे। और इसी में (24) सदस्य दूसरी समिति के लिए चुने जाते थे।

⇒ दूसरी समिति में एक गवर्नर एंव एक उप गवर्नर होता था

ध्यान दें :- पहली समिति नियम-कानून बनाता था तथा उसे दूसरी समिति लागू करती थी।

⇒ भारत में कम्पनी के शासन प्रबंध और उनके व्यापारिक हितों की देखभाल के लिए एक परिषद् होती थी यह परिषद (5) सदस्य होता था। एक मुख्य और चार अन्य था।

⇒ इस परिषद का मुख्य कार्य :-

- ⊙ व्यापारिक हितों को देखना,
- ⊙ कम्पनी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
- ⊙ राजाओं एंव नवाबों से सम्पर्क साधना तथा उनका सहयोग प्राप्त करने का पयत्न करना।

Note :- भारत में कम्पनी कर्मचारी वेतनभोगी के साथ-साथ निजी कार्य करने का भी अधिकार था।

=> शीघ्र ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी इंग्लैण्ड के 'अलाउद्दीन का चिराग' बन गई थी।
Ex 1603–1613 तक कम्पनी की कमाई 200 गुणा तक हो गया था।

=> कम्पनी ने भी अपना व्यापारिक इकाधिकार बनाए रखने के लिए समय-समय ब्रिटिश सरकार और उसके पदाधिकारियों को भारी रिश्वतें, किमती तोफे, ब्याज रहित कर्ज etc दिया करते थे।

=> 1693 ई० की एक संसदीय जाँच के अनुसार केवल एक मद ~~बोगस~~ तोहफे के अनुसार कम्पनी का वार्षिक खर्च 90,000 पौण्ड था।

=> 1765 ई० कम्पनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिला 1767 ई० में ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी पर यह नियंत्रण लगाया की 4 लाख पौण्ड प्रतिवर्ष सरकार को भेजे।

=> अब कम्पनी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी एक तरफ युद्ध का खर्च झेल रहा था तो दूसरी तरफ लोगों को घुस तोहफे देने में परेशान था।

=> 1712 ई० के आते-आते कम्पनी दिवालीया होने के कगार पर पहुँच गया।

=> 26 Jan 1772 ई० को ब्रिटिश संसद ने कम्पनी की ~~विविध~~ विविध कार्यों के जाँच के लिए एक प्रवर समिति तथा एक गुप्त समिति की नियुक्ति किया।

⇒ गुप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन किया जिसमें उल्लेख
- ⊙ कम्पनी ने 4 लाख पौण्ड वार्षिक में कुछ छूट की माँग
- ⊙ बैंक ऑफ इंग्लैण्ड से 10 लाख पौण्ड का ऋण की माँग

⇒ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लार्ड नार्थ ने 18 may को संसद में अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया जो बाद में रेग्युलेटिंग एक्ट कहलाया।

1773 का रेग्युलेंटिंग एक्ट

⇒ इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कम्पनी में व्याप्त दोषों को दूर करना

⇒ कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स (Court of Proprietors) में वोट देने का अधिकार उसे दिया गया जो कम से कम एक वर्ष पूर्व कम्पनी में 1000 पौण्ड के शेयरधारक हो।
और निदेशक मण्डल की कालावधि एक वर्ष के जगह 4 वर्ष कर दिया और यह भी प्रवधान किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कुल सदस्यों (24) में से $\frac{1}{4}$ सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे।
शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर को सौंप दिया गया।

⇒ बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया।

⇒ बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया। जिसमें एक गवर्नर जनरल तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए
चारलोग → फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल

⇒ इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायलय (Supreme Court) की स्थापना किया गया।

उसमें एक मुख्य न्यायधीश तथा तीन अन्य न्यायधीश की व्यवस्था।

⇒ 1774 ई० में न्यायलय का गठन किया गया सर एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायधिश बनाया गया। (वारेन हेस्टिंग्स का मित्र)

अन्य न्याय धिश → चेम्बर्स, लिमेस्टर एंव हाइड थे।

ध्यान दें :- न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था॥

⇒ बंगाल के गवर्नर को तीनो प्रसीडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया।

⊙ इस अधि० के अनुसार कम्पनी के अधिन कोई सैनिक अथवा असैनिक अधिकारी निजि व्यापार तथा भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार, दान आदि नहीं ले सकता है।

एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781

1773 ई० रेग्यूलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष 'एडमंड बर्क' के सुझाव पर एक अधिनियम पारित किया गया।
इसे ही 'संशोधात्मक अधिनियम' या 'बंगाल जूडीकेचर एक्ट 1781' कहा गया।

⊙ इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया।

⊙ अब गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियम को सर्वोच्च न्यायलय में पंजीकृत करवाना आवश्यक न था।

ध्यान दें :- कानून बनाते समय भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया।

⊙ कुल मिलाकर 1781 का संशोधात्मक अधिनियम कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में पहला कदम था।

पिट्स इण्डिया एक्ट 1784

⇒ 1781 ई० के अधिनियम के असफल होने के बाद पिट्स इण्डिया एक्ट 1784 आया।

⇒ 1784 ई० पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। उसने एक विधेयक प्रस्तुत किया जो पारित हो गया इसे ही पिट्स इण्डिया एक्ट कहा गया।

रोचक तथ्य

1783 ई० डण्डास अधिनियम और फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। किन्तु दोनों विधेयक पारित न हो सका।

- यह बिल हाउस ऑफ कामन्स में तो पारित हो गया था परन्तु हाउस ऑफ लार्ड में पारित न हो सका
- लार्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की गठबंधन सरकार गिर गया
- यह पहला एंव अंतिम अवसर था जब अंग्रेजी सरकार भारतीय मामलों पर टूट पड़ी थी।

⇒ इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के व्यापार को अछुता छोड़ दिया गया। परन्तु इसके सैनिक और असैनिक तथा राजस्व संबंधि सभी मामले को एक बोर्ड के अन्तर्गत कर दिया गया। (व्यापारिक और राजनीतिक मामले को पृथक कर दिया गया)

- Board of control की स्थापना हुई इसमें 6 सदस्य थे तथा इसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इसके अलावे एक राज्य सचिव और 4 प्रिवी कौंसिल के सदस्य।

Note:- इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए।

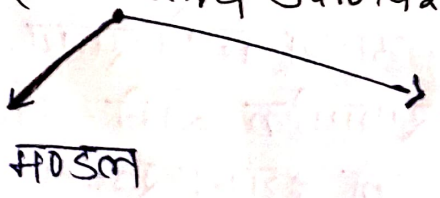

⊙ भारत में अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम दिया गया :- ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश ।

⊙ भारत में गवर्नर जनरल के परिषद् की संख्या ④ से घटाकर ③ कर दिया गया । इसमें से एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया ।

⊙ नियंत्रक मंडल के अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेशों के साथ संघर्ष करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था ।

⊙ इस एक्ट के द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी को सपरिषद गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया ।

1786 का अधिनियम

⇒ कार्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था अतः इस उद्देश्य से 1786 का अधिनियम लाया गया ।

• इसमें मुख्य प्रावधान यह था कि :-

⊙ गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद् के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया ।

1793 का चार्टर एक्ट

⇒ 20 वर्षों के लिए कम्पनी के व्यापारिक अधिकार Renew कर दिया

⇒ BOC के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा । यह परम्परा 1919 तक चलता रहा ।

⇒ परिषद के निर्णय को रद्द करने की आगे आने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दिया गया (1786 अधि॰)

=> गवर्नर जनरल जब कभी बंगाल से बाहर जाएगा तो उसे अपनी परिषद् के असैनिक सदस्यों में से किसी एक को उप-प्रधान नियुक्त कर लें।

=> जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया।

1833 का चार्टर एक्ट

=> पुनः 20 वर्षों के लिए Renew कर दिया गया।

- भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। (चीन और चाय व्यापार को छोड़कर)
- पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दिया गया।
- भारतीयों के शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रु खर्च करने का उपबंध।
- भारत में बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वालों अंग्रेजों को बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल से लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया।
- भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई।
  - कलकत्ता, मद्रास मुम्बई सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन करवाना अनिवार्य कर दिया गया।